

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

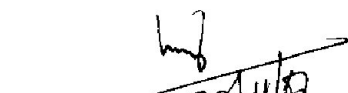
स्थायी परिपत्र क्रमांक आसवनी/2006-07/5

विषय:- रेक्टिफाईड स्प्रिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के निर्यात हेतु अनुशंसा ।

राज्य की आसवनियों से आर.एस./ई.एन.ए. के अन्य राज्यों में निर्यात हेतु अनुशंसाएं प्राप्त होती रहती हैं । यह देखने में आया है कि कुछ प्रभारी अधिकारी इस सम्बन्ध में सही ढंग से अनुशंसा करके आवेदन अग्रेषित नहीं करते हैं । वस्तुतः प्रत्येक आवेदन के साथ आयातक राज्य के आबकारी आयुक्त की अनुमति तथा एन.ओ.सी./आयात पारपत्र की प्रति, प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न कर भेजी जाना चाहिये ।

2 भविष्य में जब भी प्रभारी अधिकारी स्प्रिट के निर्यात हेतु आवेदन को अनुशंसित कर अग्रेषित करें तब इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें कि आवेदन के साथ संलग्न आयातक राज्य के आबकारी आयुक्त की अनुमति एवं तत्सम्बन्धी एन.ओ.सी./आयात पारपत्र की सत्यता की जांच उनके स्तर पर कर ली गई है । इन अभिलेखों का सम्बन्धित राज्य के आबकारी आयुक्त एवं/अथवा अन्य आबकारी अधिकारी से समय समय पर सत्यापन कराना सुनिश्चित किया जाय । यदि किसी भी फर्जी अनुमति एवं/अथवा एन.ओ.सी./आयात पारपत्र के आधार पर यदि कोई परेषण राज्य के बाहर निर्यात किया जाता है तो इसके लिये इकाई का प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा ।

अतः भविष्य में प्रभारी अधिकारी उपरोक्तानुसार सत्यापन के अंकन के साथ तथा अभिलेखों की सत्यापित प्रति के साथ आवेदन पत्र स्पष्ट अनुशंसा के साथ अग्रेषित करेंगे ।

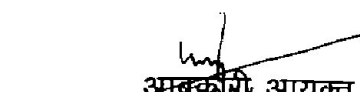

(टी. धर्मोशर्व)

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ०क्रमांक 5(2)/06/3046
प्रतिलिपि:-

ग्वालियर, दिनांक 28-11-06

- 1-- समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, मध्यप्रदेश ।
- 2-- समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
- 3-- प्रभारी अधिकारी, मेसर्स
की ओर निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु । पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति भेजी जाय ।
- 4-- मेसर्स की ओर सूचनार्थ ।


आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश